ज्ञाप संख्या _____/उ०, दिनांक

आदेश

जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के संयुक्त आदेश ज्ञापांक - 587/उ०, मधेपुरा दिनांक 01-03-2015 तथा राजस्व पर्षद, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-4/टैक्स/30013/96-175 दिनांक 27-02-2006 के आलोक में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु होली त्योहार के अवसर पर दिनांक 06-03-2015 को सभी प्रकार के थोक एवं फुटकर शराब की दुकानें बन्द रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

अधीक्षक उत्पाद
मधेपुरा

ज्ञाप संख्या _____/उ०, दिनांक

प्रतिलिपि निरीक्षक उत्पाद, मधेपुरा/सभी अवर निरीक्षक उत्पाद/प्रबन्धक देशी शराब/विदेशी शराब डिपो, बी०एस० बी०सी० एक्स, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/सभी अंचल अवर निरीक्षक उत्पाद को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने अंचल के अन्तर्गत सभी उत्पाद दुकानों को दिनांक 05-03-2015 को बिक्री काल के पश्चात् स्कन्ध का सत्यापन कर सक्षम उत्पाद दुकानों को बन्द कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करेंगे तथा सभी अवर निरीक्षक उत्पाद सघन गश्ती/धावामारी करेंगे ताकि किसी भी प्रांत से शराब की बिक्री नहीं हो सके।

अधीक्षक उत्पाद
मधेपुरा

ज्ञाप संख्या 213 /उ०, दिनांक 3/3/2015

प्रतिलिपि जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा को आदेश के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

3/3/15